


 search


Home



News



Shopping



Cinemazaa



7272



Josh



Epaper

मुख्य पृष्ठ

राष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय

खेल

वाणिज्य

सम्पादकीय

दृष्टिकोण

फीचर

राज्यवार खबरें

पिछले अंक

जागरण-->समाचार-->राज्यवार खबरें-->उत्तर प्रदेश -->गाजियाबाद

Your City ...

Your State ...

वकील देहज एक्ट में संशोधन के पक्ष में

गाजियाबाद, जागरण संवाद केंद्र : दिल्ली-गाजियाबाद के अधिवक्ताओं की देहज कानून विषय पर आयोजित संयुक्त संगोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि यह कानून समाज में देहज रूपी बुराईयों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था परंतु इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार नाबालिग और निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किया जाता है। इस संबंध में अधिवक्ताओं और कानून तैयार करने वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि जरूरी हो तो इसमें बदलाव किया जाए।

न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कानून ने समाज में देहज सरीखी बुराई को समाप्त करने के लिए देहज विरोधी कानून की धारा-407 और 498 क तैयार की थी। अलबत्ता अधिकांश मामलों में इसका दुरुपयोग होने लगा है। परिवार में वैचारिक मतभेद और झगड़ों में भी देहज उत्पीड़न कानून लगा दिया जाता है। जिससे निर्दोष के फंसने से उनका उत्पीड़न होता है।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के.के. शर्मा ने कहा कि पिछले अधिकांश मामलों को देखें तो देहज कानून में महिला पति समेत सुसराल पक्ष के सभी लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। इसमें कई बार नाबालिग देवर और ननद को भी फर्जी ढंग से फंसा दिया जाता है। जिनका पुलिस विभाग की ओर से भी उत्पीड़न किया जाता है।

संगोष्ठी में वक्ताओं ने मांग की है कि देहज एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। जिससे निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न न हो सके। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख अधिवक्ताओं में कमलदीप, राजेश भट्ट, आरपी भाटी, इमरान खान, प्रवीण पांडे, राकेश वादव, विकास शर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह, सौरभ गर्ग और हर्ष जौहरी आदि थे।

अन्य समाचार

नरेंद्र विश्रोई बने विश्रोई सभा के अध्यक्ष

आज से चिकित्सा सेवाएं ठप करेंगे डाक्टर

बाल नाथ आश्रम की मान्यता रद्द, प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

बैंक सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

हंगामे के बाद सभासदों का सम्मान समारोह स्थगित

डासना नगर पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा

अब अस्पतालों समेत कई जगह लगेंगे मुफ्त आईएन पीसीओ

बार चुनाव में विभिन्न पदों के लिए पहले दिन 14 नामांकन

एक रुपये में खाता न खोलने पर बैंकों के